प्राक्कथन

31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय 1, 2 और 3, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते है जबकि अध्याय 4 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के तहत राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सरकारी विभागों, कंपनियों/सांविधिक निगमों एवं अन्य संस्थाओं के बारे में परिचय एवं सामान्य जानकारी दी गई है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-2** नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा किए गए व्यय की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस अध्याय में 31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्षों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-3** में उत्तराखण्ड सरकार के राजस्व विभागों की महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-4** कंपनियों और सांविधिक निगमों की अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ से संबंधित है। सरकारी कंपनियों (इन कंपनियों में वह कंपनियाँ भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी माना गया है) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 139 एवं 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपादित की जाती है एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के अंतर्गत संपादित की जाती है।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लिखित हैं जो वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आए, साथ ही साथ वे प्रकरण भी उल्लिखित हैं, जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे परंतु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की आगामी अवधि से संबंधित दृष्टांतों को, जहाँ कही भी संबंधित एवं आवश्यक हुए, सम्मिलित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।